<u>परिपत्र संख्या 07/2025</u>

फा. सं.225/30/2025/आईटी ए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

उत्तरी ब्लॉक, 25 जून, 2025

<u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आदेश</u>

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विधिमान्य आय विवरणी के प्रसंस्करण के लिए समय सीमा में शिथिलीकरण।

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड *('बोर्ड')* के संज्ञान में लाया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119(2)(ख) के तहत जारी आदेश के अनुसरण में दाखिल आय विवरणी, जिसमें ऐसी विवरणी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ किया गया है, तकनीकी कारणों से अधिनियम की धारा 143(1) के दूसरे परंतुक के तहत विहित समय सीमा के भीतर प्रसंस्कृत नहीं किया जा सका। अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के तहत विवरणी दाखिल करने में विलंब को माफ करने के ऐसे आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए थे, जैसा कि सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 09/2015 देखें फा.सं.312/22/2015-ओटी दिनांक 09.06.2015, परिपत्र संख्या 07/2023 देखें फा.सं.312/63/2023-ओटी दिनांक 31.05.2023 और नवीनतम बोर्ड के परिपत्र संख्या 11/2024 दिनांक 01.10.2024 में विनिर्दिष्ट है। कुछ मामलों में इन विवरणियों के प्रसंस्करण न होने के कारण प्रतिदाय की अप्राप्ति के संबंध में शिकायतें दर्ज की गई हैं।

2. बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है और अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में विहित समय-सीमा में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया है, और निदिष्ट किया गया है कि **सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के तहत विलंब की माफी के अनुसरण में**

31.03.2024 को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल विधिमान्य आय विवरणी, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना भेजने की तारीख बीत गई है, अब प्रसंस्कृत किए जाएंगे। तदनुसार, ऐसे आईटीआर के प्रसंस्करण के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना संबंधित निर्धारितियों को **31.03.2026** तक भेजी जाएगी।

3. ऊपर दिया गया शिथिलीकरण उन मामलों पर **लागू नहीं होगा**, जहां ऐसी आय विवरणी दाखिल करने के बाद सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम के तहत आय निर्धारण (धारा 143(3)/144/144ख/153क/153ग के तहत) या पुनर्निर्धारण (धारा 147/148 के तहत) या पुन:संगणना या पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

4. इन मामलों में अधिनियम के तहत सभी अनुवर्ती प्रभाव, जिसमें लागू ब्याज के साथ प्रतिदाय जारी करना भी शामिल है, का भी पालन किया जाएगा। उन मामलों में जहां पैन-आधार संयोजन नहीं पाया जाता है, अधिनियम के उपबंधों के तहत देय कर की किसी भी राशि या उसके हिस्से का प्रतिदाय जैसा कि परिपत्र संख्या 03/2023 दिनांक 28.03.2023 देंखे फा.सं. 370142/14/2022-टीपीएल में अधिकथित नहीं की जाएगी।

5. आयकर महानिदेशक (प्रणाली), बेंगलुरू अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के तहत दाखिल ऐसी विवरणी के प्रसंस्करण के लिए प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना **31.03.2026** को या उससे पहले निर्धारितियों को भेजी जाएगी।

6. इसे आवश्यक अनुपालन के लिए सभी के संज्ञान में लाया जाए।

(डॉ. इंदु बाला)

भारत सरकार के उप सचिव

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

i. अध्यक्ष (सीबीडीटी) और सीबीडीटी के सभी सदस्य

ii. सभी प्रधान सीसीआईटी/डीजीआईटी

iii.डीजीआईटी (प्रणाली), दिल्ली और डीजीआईटी (प्रणाली), बेंगलुरू को इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध सहित

iv. संयुक्त सचिवों/आयुक्तों, सीबीडीटी

v. प्रधान डीजीआईटी, प्रशासन एवं करदाता सेवा निदेशालय

vi. एडीजी(प्रणाली)-4 विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

vii. जेडीआईटी, आईआरएस अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए डाटा सेल

viii. गार्ड फाइल

(डॉ. इंदु बाला)

भारत सरकार के उप सचिव